कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

स0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-33/2017-18/

दिनांक : /08/2017

सेवा में,

जिला वकास अ धकारी, चम्पावत

जनपद- चम्पावत

वषय : जिला वकास अ धकारी, चम्पावत का वर्ष 11/2015 से 03/2017 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रे षत कर यह अवगत कराना है क प्रतिवेदन के भाग 2 (अ) में 01 प्रस्तर, भाग- 2 (ब) में 05 प्रस्तर तथा STAN मे शून्य प्रस्तर है। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वा र्षक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मि लत कया जाना सम्भा वत है। भाग- 2 (अ) के सभी प्रस्तरों की अनुपालन आख्या स चव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन देहरादून एवं भाग 2 (ब) के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अ धकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है क उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रे षत करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अ धकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 33/2017-18/ दिनांक: /08/2017

प्रति ल प निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रे षत :

1- आयुक्त ग्राम्य वकास पौड़ी, जनपद- पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड़ ।

2- मुख्य वकास अ धकारी चम्पावत, जनपद- चम्पावत ।

वरि. लेखापरीक्षा अ धकारी/स्थानीय निकाय

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 33 वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला वकास अ धकारी, चम्पावत द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला वकास अ धकारी, चम्पावत के माह 11/2015 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सतेन्द्र कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी श्री सुनील डग, पर्यवेक्षक, श्री राजवेश भट्ट, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 05/05/2017 एसई 18/05/2017 तक श्री एस के त्यागी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री श्रवण कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी, श्री मो सलीम खान, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 26/11/2015 से 05/12/2015 तक सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह **10/2013** से 10/2015 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी।

2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः ---

1. जनसंख्या :

2. निर्वा चत सदस्यों की संख्या :

3. पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या :

4. उपस मतियों, स्थायी स मतियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या :

5. कर्मचारियों की संख्या :

6. पंचायतराज की संप त्तयाँः

7. पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट :

8. योजनाओं की संख्या :

9. (अ) सामाजिक संरक्षा :

(ब) रोजगार सृजन से संबन्धित :

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गई योजनायें :

(द) लाभा र्थयों की संख्या :

10. वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया रा श :

11. वर्ष के दौरान कुल व्यय

(अ) सामान्य :

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाय) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये |

12. क्या वा र्षक योजनाओं एवं बजट पर निर्वा चत निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित कया गया :

धनरा

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना			
							स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आ धक्य (+)	बचत (-)
2014-15	0	134.06	701.82	701.82	2409.97	2211.48	0	
2015-16	0	332.55	121.37	107.49	2645.545	2608.675	13.88	
2016-17	0	369.42	140.21	95.47	3783.423	3535.468	44.735	
योग	**0**	**836.03**	**963.4**	**904.78**	**8838.938**	**8355.623**	**58.615**	

भाग-**3**

कार्यालय जिला वकास अ धकारी चम्पावत का वर्ष **2014-15** का आय-व्यय ववरण(धनरा श लाख मे)

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	वधायक नि ध	0	550	550	550	0
2	मनरेगा	35.42	1319.78	1355.2	1331.25	23.95
3	एकल पेयजल योजना	0	24.25	24.25	24.25	0
4	राष्ट्रीय बायोगैस	0	0	0	0	0
5	बी ए डी पी	98.64	483.99	582.63	274.03	308.6
6	जिला योजना	0	31.95	31.95	31.95	0
	कुल योग	**134.06**	**2409.97**	**2544.03**	**2211.48**	**332.55**

कार्यालय जिला वकास अ धकारी चम्पावत का वर्ष **2015-16** का आय-व्यय ववरण (धनरा श लाख मे)

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	वधायक नि ध	0	550	550	550	0
2	मनरेगा	23.95	1533.41	1557.36	1550.55	6.81
3	एकल पेयजल योजना	0	13.41	13.41	13.41	0
4	राष्ट्रीय बायोगैस	0	1.825	1.825	1.825	0
5	बी ए डी पी	308.6	425.58	734.18	371.57	362.61
6	जिला योजना	0	121.32	121.32	121.32	0
	कुल योग	**332.55**	**2645.545**	**2978.095**	**2608.675**	**369.42**

कार्यालय जिला वकास अ धकारी चम्पावत का वर्ष **2016-17** का आय-व्यय ववरण (धनरा श लाख मे)

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	वधायक नि ध	0	550	550	413.05	136.95
2	मनरेगा	6.81	2451.14	2457.95	2451.14	6.81
3	एकल पेयजल योजना	0	5.748	5.748	5.748	0
4	राष्ट्रीय बायोगैस	0	0.995	0.995	0.77	0.225
5	बी ए डी पी	362.61	667.54	1030.15	556.76	473.39
6	जिला योजना	0	108	108	108	0
	कुल योग	**369.42**	**3783.423**	**4152.843**	**3535.468**	**617.375**
	लेखाओं पर टिप्पणी:-					

(i) वर्ष के अंत में बड़ी धनरा श बची हुई है अर्थात योजनाओं का कृयान्वन सही ढंग से नहीं हो रहा है |

(ii) लेखाओं का रख-रखाव भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप में नहीं कया जा रहा है |

(iii) इकाई द्वारा बैंक समाधान ववरण नहीं बनाया जा रहा है |

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत है।

(धनरा श लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त	व्यय	अवशेष
2014-15	मनरेगा	35.42	1319.78	1331.25	23.95
2015-16	मनरेगा	23.95	1533.41	1550.55	6.81
2016-17	मनरेगा	6.81	2451.14	2451.14	6.81

(ii) इकाई को बजट आवंटन (स्रोत बताया जाय) द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई 'ब' श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः(संगठनात्मक ढांचा स चव से प्रारम्भ कर निचले स्तर तक प्रद र्शत कया जाय)

(iii) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में जिला वकास अ धकारी, चम्पावत को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला वकास अ धकारी, चम्पावत की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया। ---(जिस योजना का चयन कया गया उसका नाम अं कत कया जाय) का वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन (प्रतिचयन व ध का नाम अं कत कया जाय) के आधार पर कया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 20(1) लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2(अ)

प्रस्तर 1:- वधायक नि ध के अन्तर्गत असम र्पत धनरा श ` 46.33 लाख व ` 19.70 लाख की 22 योजनाओं का वगत एक वर्ष से अनारम्भ/अपूर्ण रहना।

शासन द्वारा पछली वधान सभाओं की अवचनबद्ध धनरा श जो अव व्यय की जानी संभव नहीं थी, को नियमानुसार राजकोष में जमा कये जाने के निर्देश गये थे।

जिला वकास अ धकारी, चम्पावत के अ भलेखों की जांच में संज्ञान में आया क मार्च 2017 में वभागीय पी.एल.ए. में ` 107.76 लाख का शेष था जिसमें ` 71.33 लाख की रा श वधायक नि ध से सम्बन्धित थी। वत्तीय वर्ष 2016-17 में योजनान्तर्गत ` 530.00 लाख की रा श वकास वभाग को प्राप्त हुई थई जिसे सम्बन्धित कार्यदायी संसम्थाओं को अवमुक्त कर दिया गया था। वगत वर्षों में प्राप्त/उपलब्ध धनरा श भी वभाग द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को पूर्णतः अवमुक्त की जा चुकी थी, बावजूद इसके मार्च 2017 में वभाग के वधायक नि ध मद में ` 71.33 लाख का अन्तिम शेष था जिसके सम्बन्ध में वभाग द्वारा अवगत कराया गया क अन्तिम शेष था जिसके सम्बन्ध में वभाग द्वारा अवगत कराया गया क संद र्भत अवशेष में ` 25.00 लाख कार्यादायी संस्थाओं की योजनाओं से सम्बन्धित द् वत्तीय कस्त की रा श व शेष वगत योजनाओं की बचत रा श थी। चूँ क अप्रैल 20178 में नई वधान सभा का गठन हो गया था, अतः अवशेष बचत रा श ` 46.33 लाख (` 71.33-25.00 लाख) को वभाग द्वारा शासकीय निर्देशानुसार सम्बन्धित लेखाशीर्ष के अन्तर्गत कोषागार में जमा कया जाना चाहिए था।

उक्त के अतिरिक्त अ भलेखों की जाँच में यह भी प्रकाश में आया क स्वीकृत वर्ष 2013-14 से वर्ष 2015-16 तक स्वीकृत रा श ` 19.70 लाख की 22 योजनायें वगत एक वर्ष से भी अ धक अव ध से लम्बित/अनारम्भ थी, जिनका ववरण निम्नवत है।

क्र.सं.	योजना का नाम/स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत रा श	अवमुक्त रा श	अवमुक्ति का दिंनाक	व्यय रा श	योजना की स्थिति
1.	ग्रा.पं. छीनीकोठ टनकपुर में सद्धबाबा सामु.स्थल वकास अ.जा. (2013-14)	1.00	1.00	फरवरी 2014	0.50	अपूर्ण
2.	ग्रा.पं. छीनी टनकपुर में सम्पर्क मार्च अ.जा. (2013-14)	1.00	0.75	फरवरी 2014	शून्य	अनारम्भ
3.	सतलाड के तोक चल्थी में पु लस चौकी के पास पेयजल लाईन की वशेष	0.50	0.50	मार्च 2015	0.25	अपूर्ण

	मरम्मत कार्य (2014-15)					
4.	नर सहँ डांडा में हरिराम के घर तक पाईप लाईन निर्माण (अ.जा.) (2014-15)	0.20	0.20	नवम्बर 2015	शून्य	अनारम्भ
5.	खलक डया के सानिक तोक में सी.सी. मार्ग निर्माण (2014-15)	0.30	0.30	नवम्बर 2015	शून्य	अनारम्भ
6.	नायकगोठ के बोहरागोठ में सम्पर्क मार्ग निर्माण (2015-16)	1.00	1.00	मार्च 2016	0.50	अपूर्ण
7.	सूखीढ़ाग में सार्वजनिक शौचालय निर्माण (2015-16)	1.00	1.00	मार्च 2016	0.50	अपूर्ण
8.	देवीपुरा में नगर की रोड़ से ढानी चन्द्र के घर तक सी.सी. मार्ग (2015-16)	0.75	0.75	मार्च 2016	0.38	अपूर्ण
9.	पचपकरिया में श्री कृष्णानंद खर्कवाल जी के घर की भोर सम्पर्क मार्ग (2015-16)	1.50	1.50	मार्च 2016	शून्य	अनारम्भ
10.	दियूरी के कठौल तोक में पाईप लाईन निर्माण (2015-16)	0.50	0.50	मार्च 2016	0.25	अपूर्ण
11.	कोट अमोड़ी में मेला स्थल वकास (2015-16)	1.00	1.00	मार्च 2016	0.50	अपूर्ण
12.	म थया बांज से त्यान धूरा की ओर सम्पर्क मार्ग (2015-16)	1.00	1.00	मार्च 2016	0.50	अपूर्ण
13.	उदाली में मेला स्थल वकास कार्य (2015-16)	0.75	0.75	मार्च 2016	0.38	अपूर्ण
14.	चूका में मेला स्थल वकास कार्य (2015-16)	1.00	1.00	मार्च 2016	0.50	अपूर्ण
15.	पोथ में आन्तरिक सम्पर्क	1.00	1.00	मार्च 2016	0.50	अनारम्भ

	मार्ग अ.जा. (2015-16)					
16.	पचकरिया में उमाकान्त जोशई की दुकान से उत्तर चन्द्र की ओर सम्पर्क मार्ग (2015-16)	1.00	1.00	मार्च 2016	शून्य	अनारम्भ
17.	गडीकोठ में डे वड पेन्टर स्कूल के पास श्री माइकल जेम्स के घर की ओर सम्पर्क मार्ग (2015-16)	1.00	1.00	मार्च 2016	0.50	अपूर्ण
18.	पोथ में मेला स्थल वकास कार्य (2015-16)	1.00	1.00	मार्च 2016	0.50	अपूर्ण
19.	अमक डया में सी.सी. मार्ग (2015-16)	1.00	1.00	मार्च 2016	0.50	अपूर्ण
20.	कोट सुरक्षा दीवार निर्माण (2015-16)	1.00	1.00	मार्च 2016	0.50	अपूर्ण
21.	छतकोट के सर्जाली में सचांई टर्पन निर्माण (2015-16)	1.20	1.20	मार्च 2016	शून्य	अनारम्भ
22.	जोल में आन्तरिक सम्पर्क मार्ग (2015-16)	1.00	1.00	मार्च 2016	0.50	अपूर्ण
	योग	19.70 लाख				

उपरोक्त के सम्बन्ध में इं गत कये जाने पर वकास वभाग द्वारा अवगत कराया गया क बचत का लेखआशीर्ष पूर्व में गलत प्राप्त होने के कारण बचत की रा श सम र्पत नहीं की जा सकी, सही लेखा शीर्ष हेतु पत्राचार कया गया है, प्राप्त होते ही बचत की रा श को कोषागार में जमा कर दिया जायेगा। अपूर्ण/अनारम्भ कार्यों के सम्बन्ध में वभाग द्वारा बताया गया क भौगो लक परिस्थिति व टोली नायकों की उदासीनता के कारण योजने अपूर्ण रह जाती है जिन्हें पूर्ण कराये जाने हेतु पत्राचार कया जा रहा है।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं था क्यों क शासन से पत्राचार के सम्बन्ध में वभाग द्वारा कोई साक्ष्य सम्प्रेक्षा को प्रस्तुत नहीं कया गया व एक वर्ष से भी अ धक से कार्यों को पूर्ण/अनारम्भ न करा पाना वभाग की उदासीनता को दर्शाता है जब क वधायक नि ध के अन्तर्गत कार्यों को सम्पादित कराये जाने हेतु सामान्यतः उमात की अव ध पर्याप्त है।

<u>भाग **4** 'ब' 2</u>

प्रस्तर 1:- अ धप्राप्ति नियमावली 2008 का अनुपालन सुनिश्चित कए बिना सामाग्री का क्रय कया जाना तथा वलंब मुआवजा **(delayed compensation)** की वसूली न कया जाना ।

उत्तराखंड अ धप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम 9 के अनुसार रु 50,000/- से ऊपर की धनरा श का क्रय क्रय स मति के द्वारा बाजार का सर्वे करने के पश्चात तीन आपूर्तिकर्ता से कोटेशन लेने के उपरांत सबसे काम मूल्य वाले आपूर्तिकर्ता से कया जाना चाहिए एवं मजदूरों को कए गए भुगतान मे होने वाले वलंब के लए संबन्धित अ धकारी कर्मचारियों पर लगाए गए वलंब मुआवजा की वसूली तत्परता से की जानी चाहिए ।

मनरेगा नि ध की प्रशासनिक मद के व्यय की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया क कार्यालय के द्वारा 06 डजिटल जीपीएस कैमरे का क्रय कया गया जिनका मूल्य रु 101700/- था । कोटेशन क प्र क्रया से बचने के लए कार्यालय के द्वारा दो दो कैमरे करके तीन बार क्रमशः 28/01/2017, 31/01/2017 एवं 22/01/2017 को क्रय कया गया। साथ ही वत्तीय वर्ष 2016-17 तक संबन्धित अ धकारी कर्मचारियों पर लगाए गए वलंब शुल्क रु 2,73,626/- आरो पत कया गया जिसके सापेक्ष रु 2,63,903/- क वसूली क जा चुकी है तथा 9723/- क धनरा श अभी भी लंबित है।

इसे इं गत कए जाने पर कार्यालय के द्वारा बताया गया क मनरेगा प्रशासनिक मद से 06 कैमरे अलग अलग ति थयों मे क्रय कए गए हैं ले कन फ़र्म एक ही होने के कारण भुगतान एक साथ कया गया है एव वलम्ब मुआवजा के संबंध मे बताया गया क वसूली क कार्यवाही की जा रही है।

उत्तर मान्य नहीं है, क्यों क कार्यालय के द्वारा कोटेशन से बचने के लए दो दो दिन के अंतराल मे कैमरे का क्रय कया गया है। जब क अ धप्राप्ति नियमावली मे यह स्पष्ट कया गया है क टेंडर/कोटेशन से बचने के लए सामग्री का क्रय भागों मे तोड़कर न कया जाए।

प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग 2(ब)

प्रस्तर 2:- धनरा श ` 16.30 लाख का अवरोधन।

जनपदों में आयी दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त पेयजन योजनाओं की मरम्मत हेतु त्वरित ग्रामीण कार्यक्रम के अन्तर्गत एकल पेयजल योजना प्रारम्भ की गयी थी। योजना के दिशा-निर्देशानुसार एकल पेयजल के अन्तर्गत उपलब्ध नि ध में प्राप्त बचत व ब्याज रा श को शासन को सम र्पत कया जाना था।

योजना अ भलेखों की जांच के दौरान संज्ञान में आया क मार्च 2017 में योजना के बैंक खाते (CUBA/C No. 4304053324) में ` 16.52 लाख का शेष था जिसमें ` 0.22 लाख की अन्य योजना हरेला से सम्बन्धित थी। अवशेष रा श ` 16.30 लाख में वर्ष 2016-17 के मध्य प्राप्त योजना की बचत व ब्याज रा श सम्मि लत थी जिसमें ` 8.40 लाख का अर्जित ब्याज शा मल था। वभाग द्वारा योजना के दिशा-निर्देशों के वपरीत एकल पेयजल नि ध के अन्तर्गत उपलब्ध ब्याज व बचत राशइ को शासन को सम र्पत नहीं कया गया था, परिणामस्वरुप ` 16.30 लाख की रा श वभाग के एकल पेयजल खाते के अन्तर्गत वगत कई वर्षों से अवरो धत थी।

इस सम्बन्ध में इं गत कये जाने पर वभाग द्वारा अवगत कराया गया क अवशेष धनरा श को सम्बन्धित लेखा शीर्ष के अन्तर्गत जमा कर दिया जायेगा।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं था क्यों क अवशेष धनरा श को लगभग वगत 10 वर्षों से अवरो धत रखा गया था तथा शासन को सम र्पत नहीं कया गया था।

अतः धनरा श ` 16.30 लाख के अवरोधन के प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग 2(ब)

प्रस्तर 3:- ` 6.00 लाख के आवास निर्माण का कार्य अपूर्ण रहना।

दीन दयाल ग्रामीण योजना के अन्तर्गत गरीवी रेखा के नीचे बसर करने वाले आवासहिन लाभा र्थयों के लये ` 75,000/- प्रति कुल 10 लाभा र्थयों के लए (` 7.50 लाख) की धनरा श आवंटित की गई थी जिसका उपयोग उसी दिनांक वर्ष 2015-16 में कया जाना प्रावधानित था।

लेखा-अ भलेखों की जाँच में पाया गया क एक वर्ष बीत जाने के उपरान्त भी मात्र 2 आवासों का निर्माण कार्य ही पूर्ण हो पाया है अर्थात 8 आवासो का निर्माण कार्य अभी भी अपूर्ण है सम्प्रेक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर वभाग दावारा अपने उत्तर में बताया क 8 अपूर्ण आवासों की धनराशइ खण्ड वकास अ धकारियों को प्रे षत कर दी गई है, उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर 4:- मनरेगा नि ध के अंतर्गत कार्ययोजना के समय से न बनाये जाने के कारण अपूर्ण कार्यों क संख्या मे लगातार बडोतरी होता ।

मनरेगा नि ध की दिशानिर्देश पंजिका के पैरा 2.4.15 के अनुसार कार्ययोजना के अनुमोदन के संबंध मे ति थयों का निर्धारण कया गया है। जिसके अनुसार जिला स्तर से वा र्षक योजना को मंजूरी देने के पश्चात राज्य सरकार को 31 जनवरी तक प्रस्तुत कया जाना चाहिए ।

कार्यालय की मनरेगा नि ध की पत्रावली की जांच मे पाया गया क वकासखंडों से प्राप्त कार्ययोजनाओं का अनुमोदन जून माह मे करने के पश्चात राज्य सरकार को प्रस्तुत कया जा रहा है। जिससे की संबन्धित वत्तीय वर्ष मे कराये जाने वाले कार्य अगले वत्तीय वर्ष के लए लंबित हो जा रहे हैं। जिसका ववरण इस प्रकार है :-

वत्तीय वर्ष	कुल कार्य	लंबित कार्य
2015-16	2741	1138
2016-17	4716	2574

इसे इं गत कए जाने पर इकाई के द्वारा बताया गया क मानरेगा अंतर्गत कार्ययोजना वकासखंड स्तर पर तैयार कर अनुमोदन हेतु जिला स्तरीय कार्यालय मे भेजी जाती है। वकासखंड से ही कार्ययोजना वलंब से प्राप्त होने के कारण अनुमोदन भी वलंब से प्राप्त होता है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है, क्यों क यदि वकासखंड स्टार से कार्ययोजना वलंब से बनायी जा रही है तो इस संबंध मे कार्यालय को कार्ययोजना को समय से बनाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए थी परंतु कार्यालय के द्वारा इस संबंध मे कोई कार्यवाही वकासखंडों पर नहीं क गयी है जिसके कारण लंबित कार्यों क संख्या लगातार बड़ रही है।

प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चा धकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर 5:- सीमान्त क्षेत्र वकास योजना (बी.ए.डी.पी.) के अन्तर्गत 51**%** योजनाओं का अनारम्भ/अपूर्ण रहना।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमा के समीप निवास करने वाले व्यक्तियों के स्थीनीय वकास के उद्देश्य से सीमान्त क्षेत्र वकास योजना प्रारम्भ की गयी थी। यह शत प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वत्त पो षत योजना है।

योजना अ भलेखों की जाँच के दौरान संज्ञान में आया क योजनान्तर्गत वत्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक स्वीकृत योजनाओं में से मात्र 49% योजनायें ही पूर्ण हो पायी थी, शेष योजनायें अपूर्ण अथवा अनारम्भ थी, जिनका वर्षवार ववरण निम्नवत था।

(मार्च 2017 के अनुसार)

वत्तीय वर्ष (1)	स्वीकृत योजनाओं की कुल संख्या (2)	पूर्ण योजनाओं की सख्या (3)	अपूर्ण योजनाओं की संख्या (4)	अनारम्भ योजनाओं की संख्या (5)
2014-15	89	69	20	शून्य
2015-16	95	45	34	16
2016-17	117	33	80	04
योग पूर्ण योजना **%**	301	147 49**%**	**134**	**20**

स्पष्ट है क वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक स्वीकृत योजनाओं में से 51% योजनायें मार्च 2017 तक अपूर्ण थी जो क योजनाओं की अत्यन्त धीमी प्रगति व योजनाओं के प्रति वभागीय उदासीनता को दर्शाता है।

इं गत कये जाने पर वभाग द्वारा अवगत कराया गया क धनरा श वलम्ब से प्राप्त होने के कारण योजनाओं के पूर्ण होने में वलम्ब हुआ।

उत्तर सम्पेक्षा को मान्य नहीं था क्यों क वभाग के अनुसार सम्बन्धित वत्तीय वर्ष में ही धनरा श अवमुक्त कर दी गयी थी, बावजूद इसके वत्तीय वर्ष 2014-15 व वर्ष 2015-16 की योजनायें भी वभाग द्वारा पूर्ण नहीं करायी जा सकी थी जब क योजनाओं को पूर्ण कये जाने हेतु तीन माह का समय निर्धारित था।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
91/2007-08	1, 2	1, 2, 3, 4
128/2013-14	शून्य	1, 2, 3
42/2015-16	शून्य	1, 2, 3

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु जिला वकास अ धकारी, चम्पावत तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः शून्य

2. सतत् अनिय मतताएः शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री हरगो वंद भट्ट	जिला वकास अ धकारी

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी
स्थानीय निकाय